04.08.2025

अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थी/वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र u/s 113 व 151 CPC पर पूर्व में सुना जा चुका है तथा आज अधिवक्तागण को पुनः सुना गया एवं अधिवक्तागण उक्त पत्र पर पूर्व की बहस के आधार पर ही आदेश का निवेदन कर कोई नवीन तर्क पेश नहीं किया गया। अतः पत्रावली प्रार्थना-पत्र पर आदेश हेतु दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।

अपर जिला कलक्टर
हिण्डौन-सेवाड़ी (करौली) राज.

यूनिक ट्रेडर्स 51, एमजीएच रोड़, जोधपुर 262